अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

167/[illegible]/25 कैलाश v/s गोपाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/117 श्री मंगलाराम चौधरी श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत	

1.8.22

कैलाश बनाम गोपाल वगैरह

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री मंगलाराम चौधरी उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 08 की ओर से श्री पुष्पेन्द्रसिंह रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01से 08 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र वास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पर सुना जावें। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है जिसमें रेस्पोंडेन्ट को खेतो में आने-जाने के रास्ते सम्बन्धि विवाद था जिसमें रेस्पोंडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था.जिसमें अप्रार्थी कैलाश रेगर की खातेदारी कि आराजीयात के बीच में रास्ता तरमीम किया था परन्तु अब दोनो पक्षकारो के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार रास्ते को उत्तर की तरफ से देने के लिए तैयार व तत्पर है तथा इस रास्ते को रेस्पोंडेन्टस भी मानने व उक्त रास्ते का उपयोग करने के लिए सहमत है। उक्त हुए राजीनामें के अनुसार उक्त अपील में हुए राजीनामें के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त राजीनामें के आधार पर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका (Mode) है। राजीनामा जब पक्षकारो की सहमति से होता है तो प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर नहीं कर उक्त राजीनामें के आधार पर किया जाना चाहिए। अभिभाषक उभयपक्षा के कथनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है कि वे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 एक राज.काश्तकारी अधिनियम पर पुनः आदेश पारित करें उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 12.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

(हस्ताक्षर) अधिवक्ता अपी. मंगलाराम चौधरी [illegible]

(हस्ताक्षर) पुष्पेन्द्र सिंह रावत रेस्पोंडेन्ट 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता

उपस्थित जगदीश [illegible]